



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा011029/46/2013-केविसंगु0(शै0)/5898-5981/
उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय:- कम्प्युटर फण्ड (फीस) का पुनरीक्षण ।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ. 110240/04/2013/केविसं/(बजट) दिनांक 19.03.2013 के तरफ आपका ध्यान देने का कष्ट करें कि कम्प्युटर फण्ड (फीस) कक्षा 3 एवं उससे ऊपर प्रभावी है ।

कक्षा एक एवं दो से कम्प्युटर फीस नहीं लिया जाना है। यदि किसी केन्द्रीय विद्यालय में कम्प्युटर फण्ड (फीस) छात्रों से लिया है तब तत्काल कम्प्युटर फण्ड (फीस) की उन छात्रों को वापसी करें ।

यह निर्देश तत्काल केन्द्रीय विद्यालयों को जारी करें ।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है ।

दिनांक : 11.04.2013

भवदीया,
डॉ० विजय लक्ष्मी
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
3. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
4. समस्त शाखा अधिकारी/प्रशा0 अधिकारी/अनुभाग अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) ।
5. निदेशक, समस्त आँचलिक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
6. सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.) कृपया वेबसाईट पर प्रदर्शित करें ।
7. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, काठमाण्डू/तेहरान/मास्को ।
8. महासचिव समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षक/कर्मचारी संघ ।
9. गार्ड फाईल ।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा011029/46/2013-केविसंगु(शै0)/5898-5981/

उपायुक्त,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय:- कम्प्युटर फण्ड (फीस) का पुनरीक्षण ।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ. 110240/04/2013/केविसं/(बजट) दिनांक 19.03.2013 के तरफ आपका ध्यान देने का कष्ट करें कि कम्प्युटर फण्ड (फीस) कक्षा 3 एवं उससे ऊपर प्रभावी हैं ।

कक्षा एक एवं दो से कम्प्युटर फीस नहीं लिया जाना है। यदि किसी केन्द्रीय विद्यालय में कम्प्युटर फण्ड (फीस) छात्रों से लिया है तब तत्काल कम्प्युटर फण्ड (फीस) की उन छात्रों को वापसी करें ।

यह निर्देश तत्काल केन्द्रीय विद्यालयों को जारी करें ।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीया,
विजय लक्ष्मी
(डॉ० विजय लक्ष्मी) 10/4/13
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
2. अपर आयुक्त (प्रशा.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
3. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के निजी सचिव ।
4. समस्त शाखा अधिकारी/प्रशा0 अधिकारी/अनुभाग अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) ।
5. निदेशक, समस्त आँचलिक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
6. सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.) कृपया वेबसाईट पर प्रदर्शित करें ।
7. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, काठमाण्डू/तेहरान/मास्को ।
8. महासचिव समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षक/कर्मचारी संघ ।
9. गार्ड फाईल ।